भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 106

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए सुविधाएं

106. श्री राजेश रंजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यों के कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्य राज्यों में काम के लिए जाने/प्रवास करने हेतु किलोमीटर में कोई दूरी सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियोक्ताओं द्वारा ऐसे प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुरक्षित आवास और जीवन बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रवासी श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कामगारों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन एक सतत प्रक्रिया है।

प्रवासी कामगारों के हितों के रक्षोपाय हेतु, केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल किया गया है। ओएसएच संहिता में प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए मर्यादित कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान शामिल है।

देश में प्रवासी कामगारों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं: (i) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (ii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (iii) पीएम-स्वनिधि (iv) प्रधान मंत्री आवास योजना (v) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई)।

जारी... 2/-

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इन परिवारों में निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगार भी शामिल हैं।

वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू किया। इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या उससे कम है और वे ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है, इस योजना के तहत सरकार के अंशदान के लिए धनराशि फंड मैनेजर के नाते एलआईसी को दी जाती है।

*****